

## प्रपत्र-2

### जिला शिक्षा अधीक्षक का कार्यालय

### जिला-जामताड़ा

संख्यांक :- ०१

तारीख :- ०१-०७-२०२०

प्रबंधक,

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के नियम के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके द्वारा दिनांक 06.01.2020 को समर्पित आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ तत्पश्चात् हुये पत्राचार एवं विद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर, मैं सावित्री देवी डी.ए.भी. पब्लिक स्कूल, नामूड़ा, जामताड़ा, जिला-जामताड़ा (विद्यालय का नाम, पते सहित) को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से कक्षा 01 से 08 तक के लिए मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

- इस मान्यता में किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता निहित नहीं है।
- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के उपबंधों को पूर्णरूपेण पालन करेगा।
- विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चे को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उसकी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- उक्त कंडिका-3 में उल्लिखित बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपबंधों के तहत प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय एक अलग बँक खाता संधारित करेगा।
- विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावक से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता-पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्क्रीनिंग ट्रेस्ट नहीं लेगा।
- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण, प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जायेगा।
- विद्यालय निम्नलिखित केंद्रों पर अनुपालन सुनिश्चित करेगा :-

DR. P. HAZRA  
MANAGER, LMC &  
ASSTT. REGIONAL OFFICER  
JHARKHAND ZONE-H

DR. P. HAZRA  
MANAGER, LMC &  
ASSTT. REGIONAL OFFICER  
JHARKHAND ZONE-H

Attested by  
Dr. G. N. Khan  
PRINCIPAL  
S.D. D.A.V. PUBLIC SCHOOL  
Aff. No.-3430230 C.B.S.E., DELHI  
JAMTARA, JHARKHAND-813531

- I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कारित नहीं किया जायेगा।
  - II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक दंड नहीं दिया जायेगा।
  - III. प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगा।
  - IV. प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण—पत्र प्रदान किया जायेगा।
  - V. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
  - VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता, अधिनियम, 2009 के लागू होने के समय नहीं है, पाँच वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित कर लेंगे।
  - VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लिखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और
  - VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
8. विद्यालय राज्य प्राधिकार द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लिखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाये रखेगा।
10. विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित की गई प्रसुविधाएँ निम्नानुसार है :—
- |       |   |                            |
|-------|---|----------------------------|
| i.    | विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल :-  | 04 एकड़                    |
| ii.   | कुल निर्मित क्षेत्र :-  | 02 एकड़                    |
| iii.  | क्रीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल :-  | 02 एकड़                    |
| iv.   | कक्षाओं की संख्या :-  | 29                         |
| v.    | प्राध्यापक—सह—कार्यालय—सह—भंडारगार के लिए कक्ष :-                       | 02                         |
| vi.   | बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय :-                                  | 44                         |
| vii.  | पेयजल सुविधा :-   | Boring, Running Water, Tap |
| viii. | मिड—डे—मिल पकाने के लिए रसोई (सरकारी विद्यालय)                          |                            |
| ix.   | बाधारहित पहुँच :-   | हाँ                        |
| x.    | अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करणों/पुस्तकालय की उष्टलध्वता :- | हाँ                        |
11. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर—मान्यता प्राप्त कक्षाएं पहीं चलाई जाएंगी।

*Om 3/4/2021*  
**DR. P. HAZRA**  
 MANAGER, LMC &  
 ASSTT. REGIONAL OFFICER  
 JHARKHAND ZONE-H

*Om 3/4/2021*  
**Dr. G. N. Khan**  
 PRINCIPAL  
 S.D. D.A.V. PUBLIC SCHOOL  
 Aff. No.-3430230 C.B.S.E., DELHI  
 JAMTADA JHARKHAND

*Attest by*

12. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
13. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जायेगा।
14. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणिक किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जायेगी।
15. विद्यालय ऐसे प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा उपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकाल की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाये।
16. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत इसी सोसाईटी द्वारा या तत्समय प्रवृत् किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायेगा।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक JMT/01/2020-21 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख किया जाय।

27/4/2020  
जिला शिक्षा अधीक्षक,  
जामताड़ा।

Attested by  
G.N.Khan  
27/4/2020  
Dr. G. N. Khan  
PRINCIPAL  
S.D. D.A.V. PUBLIC SCHOOL  
Aff. No.-3430230 C.B.S.E., DELHI  
JAMTARA, JHARKHAND-815351

27/4/2020  
DR. P. HAZRA  
MANAGER, LMC &  
ASSTT. REGIONAL OFFICER  
JHARKHAND ZONE-H